

# Order Sheet [Contd]

Case No 181/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
18.05.2017	<p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।  आरोपी कृष्णा की ओर से श्री एम.एल.मुदगल अधिवक्ता।  आवेदक/अभियुक्त कृष्णा की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पर उभय पक्षों को सुना गया।  आवेदनपत्र में प्रार्थना की है कि वर्तमान आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र है। आवेदन में आगे निवेदन किया है कि पुलिस थाना गोहद चौराहा के द्वारा विरोधियों की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 05.10.16 को गिरफ्तार लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है और उक्त मामला मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर है जिसमें कि अभियोजन साक्ष्य होना प्रारंभ हो गयी है जिसमें कि फरियादी के कथन हो चुके हैं। आवेदक स्थाई निवासी है जिसके भागने की संभावना नहीं है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।  राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।  उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।  आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को केवल संदेह के आधार पर झूठा फंसाया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है और इन्हीं आधारों पर जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।  यह सही है कि अभियोजन की ओर से प्रश्नगत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत मेमोरेण्डम अनुसार अभियुक्त/आवेदक पर मृतक की गर्दन ब्लेट से काटकर हत्या कारित करने संबंधी गंभीर आरोप है। साथ ही अभियोजन कथानक अनुसार घटना के पूर्व आवेदक/अभियुक्त मृतक के साथ शराब पीते हुए देखा गया है। अतः प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर लगाए गए गंभीर आरोप, प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत न होने से आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 निरस्त किया जाता है।  प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत दिनांक 29,30-05-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद</p>	